(51)

संलग्नक– 14

भारत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा पूर्व में लगायी गयी शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेनुकूट वनप्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत ग्राम ककरी में ककरी कोयला परियोजना को भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–350/87–एफ.सी, दिनांक– 30.05.1989 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989, दिनांक– 22.12.1989 द्वारा 185.84 हे0 वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक– 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है। उक्त लीज पर दी गयी 185.84 हे0 वन भूमि की पुनः 20 वर्षो के लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। लीज नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 शासन की आदेश संख्या– एल0 598/14–3–1989, दिनांक– 22.12.1989 के शर्त संख्या 8 (ब) में लीज रेंट प्रति वर्ष जामा किए जाने का प्रावधान है। उक्त आदेश के अनुपालन में 1989-90 से वर्ष 2011-12 तक लीज रेंट की निर्धारित धन राशी जामा की गयी है। आगे के वर्षो में लीज रेंट धनराशि जमा न करना पड़े इस संदर्भ में एन॰सी॰एल॰ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या 50320/2010 दाखिल किया गया था। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16/01/2013 को एन॰सी॰एल॰ के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय के विरुद्ध वन विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय समक्ष एस॰एल॰पी॰ संख्या 22793/2013 उ॰प्र॰ राज्य व अन्य बनाम एन॰सी॰एल॰ दाखिल किया गया है जो की माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अंतिम निर्णय के द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

हस्ताक्षर

28/10/19

(एल0पी0 गोडसे)
महाप्रबंधक–ककरी परियोजना
पता–महाप्रबंधक कार्यालय
ककरी परियोजना, पोस्ट–ककरी,
जिला–सोनभद्र (उ0प्र0)

General Manager
Kakri Project
N.C.L

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र (उ०प्र०)